राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 2256/2024

1. कपिल देव
2. गुलराज शर्मा
3. राजवीर सिंह
4. पदम सिंह

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये पुलिस अधीक्षक, सवाई माधोपुर।
2. विशेष पुलिस महानिरीक्षक, राजस्थान (मुख्यालय) जयपुर (राज.)।
3. एसीएस, गृह विभाग, जयपुर।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 09.07.2024
आदेश की दिनांक : 15.07.2024

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : खुशबू कोठारी, अभिभाषक

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपीलीय अधिकरण) अधिनियम–1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

प्रस्तुत अपील में अपीलार्थीगण द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थीगण को दिनांक 01.07.2011 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें तथा प्रत्यर्थी विभाग रिव्यू बोर्ड गठित कर अपीलार्थीगण के मामले में ईओएल हटाये जाने का निर्देश दिया जावे।

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैं :–

अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थीगण वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर जिला भरतपुर में कार्यरत हैं। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण का परिवीक्षा काल आदेश दिनांक 21.11.2010 के द्वारा तीन माह आगे बढाया गया था और आदेश दिनांक 18.05.2011 के द्वारा अपीलार्थीगण स्थायी किये गये और स्थायीकरण आदेश के अनुसार अपीलार्थीगण दिनांक 01.07.2011 से वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं, परंतु प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2012 से उक्त लाभ दिया गया, जिसके संबंध में अपीलार्थीगण ने अपने विद्वान् अधिवक्ता द्वारा प्रत्यर्थी विभाग को न्याय की मांग का नोटिस प्रेषित कर अधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत करते हुये प्रार्थना की है कि अपील स्वीकार कर प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिये जावें कि अपीलार्थीगण को दिनांक 01.07.2011 से वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ एवं समस्त पारिणामिक लाभ प्रदान किये जावें तथा प्रत्यर्थी विभाग रिव्यू बोर्ड गठित कर अपीलार्थीगण के मामले में ईओएल हटाये जाने का निर्देश दिया जावे।

हमनें अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता को अपील की ग्राह्यता एवं स्थगन प्रार्थना–पत्र पर सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध तमाम अभिलेख का अनुशीलन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से प्रकट होता है कि अपीलार्थीगण वर्तमान में कांस्टेबल के पद पर जिला भरतपुर में कार्यरत हैं। उनका कथन है कि अपीलार्थीगण का परिवीक्षा काल आदेश दिनांक 21.11.2010 के द्वारा तीन माह आगे बढाया गया था और आदेश दिनांक 18.05.2011 के द्वारा अपीलार्थीगण स्थायी किये गये और स्थायीकरण आदेश के अनुसार अपीलार्थीगण दिनांक 01.07.2011 से वार्षिक वेतन वृद्धि प्राप्त करने के हकदार हैं लेकिन प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 01.07.2012 से उक्त लाभ दिया गया। प्रकरण के वर्तमान परिस्थितियों एवं अपीलार्थीगण के विद्वान् अधिवक्ता की सहमति को ध्यान में रखते हुए हम यह आदेश देना समीचीन समझते हैं कि अपीलार्थीगण आगामी दो सप्ताह

की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी चार सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थीगण को दें।

अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य